भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2815
दिनांक 18 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

आवारा पशु

2815. श्री अमरा राम:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा किसानों की जान और माल की हानि का कारण बन रहे आवारा पशुओं के आतंक को रोकने के लिए तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है; और
(ख) इस संबंध में क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ख): भारत के संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार पशुधन के परिरक्षण, संरक्षण और सुधार के साथ-साथ पशु रोगों की निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और प्रैक्टिस का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। इसी तरह, संविधान के अनुच्छेद 243(ब) के तहत स्थानीय निकायों को गोपशु पाउंड और पिंजरापोल के प्रबंधन का काम सौंपा गया है। तदनुसार राज्य, पंचायतों को आवारा गोपशुओं के आवास के लिए गोपशु पाउंड (कांजी हाउस) और गौशाला आश्रय (सामुदायिक संपत्ति) स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। कई राज्यों ने इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने हेतु आवारा बोवाइन के लिए भोजन और देखभाल सुनिश्चित करते हुए पहले से ही गौशालाएं और आश्रय स्थापित किए हैं।

इसके अलावा, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने दिनांक 12 जुलाई, 2018 के अपने पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवारा पशुओं के संबंध में परामर्शियां जारी कीं । भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार द्वारा आवंटित बजट के भीतर बेघर पशुओं के रख-रखाव के लिए अनुदान सहायता प्रदान करके उनके लिए आश्रयों को बढ़ावा देता है। यह नियमित, आश्रय, एम्बुलेंस और प्राकृतिक आपदा अनुदान योजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों में मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों (AWO) को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

इसके अलावा, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को दिनांक 27 मार्च, 2023 के पत्र के माध्यम से उनसे पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण हेतु सोसायटी (SPCA) द्वारा इन्फ़र्मरी की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि और सुविधाएँ आवंटित करने का अनुरोध किया गया था। यह पहल पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण हेतु सोसाइटियों की स्थापना और विनियमन) नियम, 2001 के अनुसार है, जो इन्फ़र्मरी और पशु आश्रयों के निर्माण की सुविधा प्रदान करती है।

विभिन्न गौशालाएँ आवारा पशुओं के लिए आश्रय स्थल के रूप में काम करती हैं, जहाँ गोबर का उपयोग बायो-सीएनजी उत्पादन के लिए किया जा सकता है। आवश्यक तकनीक पहले से ही उपलब्ध है, और केंद्र सरकार ऐसे संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस तकनीक का विस्तार करने के प्रयास चल रहे हैं, कई गौशालाएँ और संगठन पहले से ही गोबर आधारित उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं।

परित्यक्त नर पशुओं की इस समस्या से निपटने के लिए, केंद्र सरकार गोपशुओं के कृत्रिम गर्भाधान के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत सेक्स-सॉर्टेड सीमन तकनीक कार्यान्वित कर रही है। इस तकनीक का उद्देश्य केवल बछड़ियां पैदा करना है, जिससे समय के साथ नर गोपशुओं की संख्या धीरे-धीरे कम होती जाएगी।

******